

प्रारूप-ड (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/56291/ALB/ALLAHABAD/1017/CFO

दिनांक: 07-07-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैगर्स SRINIVASA RAMANUJAN PUBLIC SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 31 M G MARG, CIVIL LINE, 31 M G MARG, CIVIL LINE, FRAYAGRAJ तहसील - SADAR जिला

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	5	1	15.10 mt.

तथा प्लॉट एरिया 2876.73 sq.mt है। भवन का अधिभोग SRINIVASA RAMANUJAN PUBLIC SCHOOL (भवन स्वामी अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निष्पत्ति अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 03-09-2022 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री APURVA SRIVASTAVA, srps.alld@gmail.com, 9717781700 के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं की मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रजात भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोगी श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 06-09-2022 से 05-09-2025 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का क्रियाशील रखने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी।

Note : आगिदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए शपथ पत्र को प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उक्त स्कूल में एनबीसी - 2016 के मानक के अनुसार चारों तरफ 06 मीटर खुला सेटबैक प्रविधानित है तथा स्कूल भवन के दाहिने तरफ (पूर्व दिशा में) सेटबैक पर अस्थायी सुरक्षा जालों से गेट का निर्माण किया गया है जिसे 03 महीने में हटा कर विद्यालय के चारों तरफ मोटरबुल सेटबैक रखा जाएगा। पर उक्त स्कूल भवन में मानकानुसार अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं भवन के चारों तरफ मोटरबुल 06 मीटर का सेटबैक की उपलब्धता बनाए रखने की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी स्कूल प्रबन्धन तंत्र की होगी, प्रतिवर्ष विहित फॉस लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरांत अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्निशमन यंत्रों का शोधन कराकर फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र अग्नि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Rajeev Kumar Pandey)

[8DA5490F5C1BCDF5B167752BB7A40B3F521C46EC]

06-09-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-09-2022
स्थान : ALLAHABAD

